न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. विनोदसिंह पिता स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
2. जसवंतसिंह पिता स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. जगदीशसिंह पिता स्वर्गीय रूपसिंह जी रावत, निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
4. श्रीमती लीला देवी पत्नी जगदीशसिंह जी रावत, निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
6. श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी विनोदसिंह जी रावत, निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
7. श्रीमती तेजी देवी पत्नी जसवंतसिंह जी रावत, निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रोडसिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी रावत, निवासी छापली (खजेडिया), तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
2. दलासिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी रावत, निवासी छापली (खजेडिया), तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)

3. उदयसिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी रावत, निवासी छापली (खजेडिया), तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
4. नारायणसिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी रावत, निवासी छापली (खजेडिया), तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
5. मनोहरसिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी रावत, निवासी छापली (खजेडिया), तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
6. प्रकाशसिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी रावत, निवासी छापली (खजेडिया), तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
7. रमेशसिंह पिता स्वर्गीय देवीसिंह जी रावत, निवासी छापली (खजेडिया), तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 24.05.2017, प्र. सं. 5/17

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1— श्री मदनसिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री भंवरसिंह चौहान अभिभाशक र.सं. 1, 3, 5, 6

———::———

निर्णय दिनांक

14—03—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान का"तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नगातों की गुआर में खाता संख्या 231 की आराजी नंबर 6303, 6304, 6305 व 6307 कुल किता 4 रकबा 16 बिस्वा 15 बिस्वांसी

भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम ढाणा में खाता संख्या 261 की आराजी नंबर 6565 व 6566 कुल किता 2 रकबा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमियां एक चक में होकर वादीगण क स्वामित्व एवं आधिपत्य की हैं तथा वादीगण उनका उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त जमीन के पास की प्रतिवादीगण के मकान होने से प्रतिवादीगण हमारी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को कैम्प कोर्ट पर उपस्थित रहने के नोटिस जारी किये गये तथा प्रकरण कैम्प कोर्ट छापली में रखा जाकर दिनांक 24–05–2017 को निर्णय पारित किया गया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 21–02–2018 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि कैम्प कोर्ट की सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी। अभी हाल ही में दिनांक 23–01–2018 को उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 24–05–2017 के निर्णय की अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–07–2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है। अर्थात अपील करीब 7 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिऐ जो कारण लिये गये हैं वह न तो उचित है, न ही पर्याप्त। फिर भी प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व 5, 6 की ओर वकील श्री भंवरसिंह चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण द्वारा कोई मौखिक अथवा लिखित सहमति नहीं दी गयी है तथा उन्हें किसी प्रकार की तामिल नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री नल एण्ड वोईड होने से खारिज की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत अपीलान्टगण को नोटिस जारी किये गये हैं, जो अपीलान्ट भंवरी देवी एवं लीला देवी द्वारा प्राप्त किये गये हैं। अब अपीलान्टगण का यह कथन कि उन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हुऐ हैं, स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्टगण को कैम्प कोर्ट छापली के सम्मन भंवरी देवी एवं लीला देवी द्वारा प्राप्त किये गये हैं, जो अपीलान्ट संख्या 4 व 5 होकर अन्य अपीलान्ट के परिवार की सदस्य हैं। अतएवं अपीलान्टगण का यह कथन कि उन्हें कैम्प कोर्ट के सम्मन तामिल नहीं हुए हैं, उपलब्ध रेकार्ड अनुसार स्वीकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14–03–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस. ....
....

विनोदसिंह पिता स्व. लक्ष्मणसिंह रावत बनाम रोडसिंह पिता देवीसिंह जी रावत
निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, निवासी छापली (खजेडिया), तह0
छापली, तह.भीम, जि.राजसमन्द व अन्य भीम, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं............11/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी........
...........भीम....... मुकाम................मुवर्खे.............24................माह..............05...........
..2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........14......माह........03.......सन् 2019 रूबरू......
..पक्षकारान
व हाजरी...श्री मदनसिंह चौहान ....मिनजानिब अपीलान्ट व............श्री भंवरसिंह चौहान

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये
.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........14......माह.......03...
........2019
को जारी किया गया ।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. महनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये

दिलाया गया हो।